न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 181/2019

आरसीएमएस नं. 2019/00181

लिछमणराम पुत्र सरदाराराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.07.2018

द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर, प्र. सं. 210/2016

अनवान लिछमणराम बनाम रूपराम

उपस्थितिः—

श्री संजय जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी,

श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 07.07.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट में पेश किया। जिसमें कथन किया कि उसके पिता के नाम से आराजी जरई रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता सं0 842/824 के ख0 नं0 547 की 11.6850 है0 व ख0 नं0 548 की 7.9040 हैक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

व दोनों खसरों की कुल 77 बीघा 9 बिस्वा भूमि गैर खातेदारी कृषि भूमि अपीलाण्ट की पैतृक सम्पति है। अपीलांट के पिता अपने अन्य भाईयों के साथ 1/4, 1/4 ब. हि.ब. के हकदार है व अपने पिता के 1/4 हिस्सा में पिता की फौतदगी के बाद फौतदगी के बाद जब विरास्तन इंतकाल दर्ज किया तब अपीलाण्ट का नाम भूलवश सहवन से रह गया। अपीलाण्ट ने भौतिक कब्जा अपने अन्य भाईयों के साथ शांतिपूर्व कब्जा काश्त चला आ रहा है। विचारण न्यायालय ने इकबालदावा के आधार पर दिनांक 07.06.2018 को अपीलाण्ट के पक्ष में डिक्री कर दी गई लेकिन संशोधित पर्चा डिक्री में टंकणिय भूल की वजह से कृषि भूमि को गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदारी लिख दिया गया जो सहवन से कार्यालय के लिपिक द्वारा किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के पक्ष में जारी डिक्री को अपने निर्णय दिनांक 09.07.2018 के द्वारा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायायल के समक्ष वाद साफ तौर पर नियम व अपने विधिक अधिकारेां के आधार पर किया था। अपीलांट ने साफ तौर पर अपने दावा में हल्फनामें में प्रश्नगत भूमि को गैर खातेदारी होने का अंकन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने माना है कि अपीलाण्ट ने अपने दावा में खातेदारी का अनुतोष नहीं मांगा है तो यह स्वयं साबित है कि संशोधित पर्चा डिक्री में खातेदारी शब्द सहवन से दर्ज हुआ है। अपीलाण्ट ने अपने वाद में खातेदारी की भी मांग नहीं की तो पैराफेरी बेल्ट की भूमि में खातेदारी देने के लिए अधीनस्थ न्यायालय का सक्षम होना या ना होने का आधार बताकर कोई विधिक कारण रिवेलेन्ट नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। उक्त भूमि पैराफेरी बैल्ट की नहीं है लेकिन होती तो घोषणात्मक वाद के लिए निर्णय के लिए मातहत अदालत ही सक्षम थी। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नही है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान होते ही बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है। देरी क्षमा की जावे और अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने वाद क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया गया क्यों कि जब भूमि गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तो अपने वाद में गैर खातेदारी का अंकन क्यों नहीं किया गया। वादी ने अपने वाद में गैर खातेदारी से खातेदारी करवाने की किसी प्रकार का अनुतोष नहीं मांगा। वाद में वर्णित भूमि पैराफेरी क्षेत्र में स्थित होने का अंकन अपने वाद में नहीं किया गया जबकि नियमानुसार पैराफेरी में स्थिति भूमियों के खातेदारी अधिकार दिये जाने का अधिकारी उपखण्ड अधिकारी को नहीं है। अपीलाण्ट ने न्यायालय में वाद क्लीन हैण्ड से पेश नही किया। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलाकन किया।

6. अपीलाण्ट ने रोह मोजा भूकरका के खाता संख्या 842/824 की कुल 77.09 बीघा भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज है के सम्बन्ध में घोषणात्मक वाद पेश किया गया तथा अपने वाद में वादी ने गैर खातेदारी के स्थान पर खातेदार होने का अंकन किया गया वादी को वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश कर दिया जिस पर राजस्व लाक अदालत में डिक्री किया गया था। विचारण न्यायालय ने अपने द्वारा जारी डिक्री दिनांक 07.06.2017 एवं संशोधित पर्चा डिक्री दिनांक 07.06.2018 को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2018 को खारिज कर दिया। डिक्री को खारिज करते समय विचारण न्यायालय ने यह माना कि वाद क्लीन हैण्ड से पेश नही किया गया क्यों कि जब भूमि गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तो अपने वाद में गैर खातेदारी का अंकन क्यों नहीं किया गया। वादी ने अपने वाद में गैर खातेदारी से खातेदारी करवाने की किसी प्रकार का अनुतोष नहीं मांगा था एवं वाद में वर्णित भूमि पैराफेरी क्षेत्र में स्थित होने का भी अंकन अपने वाद में नहीं किया जबकि नियमानुसार पैराफेरी में स्थिति भूमियों के खतोदारी अधिकार दिये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नही है। इस प्रकार अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद क्लीन हैण्ड से पेश नही किया एवं न्यायालय को गुमराह करके गैर खतेदारी भूमि को अपने वाद में खातेदारी की घोषणा करवाई है। अपील में अपीलाण्ट ने उक्त तथ्यों के विपरीत कोई अन्य ऐसा तथ्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7 उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/7/22

(करतारसिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 181/2019

आरसीएमएस नं. 2019/00181

लिछमणराम पुत्र सरदाराराम जाति बावरी निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

--अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

-- रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.07.2018
द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर, प्र. सं. 210/2016
उनवान लिछमणराम बनाम रूपराम

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री संजय जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.07.2018 यथावत रखा जाता है। डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 07.07.22 को जारी की गई।

7/7/22
(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़